

**कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक :-

दिनांक :-

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
वन, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार राँची।

**विषय :-** सी0सी0एल0 की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

**प्रसंग :-** वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 2007 दिनांक 21.10.2016 महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) करते हुए सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 68.40 हे0 (65.9 हे अधिसूचित वनभूमि एवं 2.5 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का अनुमोदन प्राप्त है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

1 अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे0 में)
बोकारो वन प्रमंडल	65.90	2.50	68.40

कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु निम्न activity हेतु भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है:-

Activity	Area (in ha.)
Power plant	30.00
Washery Complex	20.92
Safety Zone	5.18
Green Zone	12.30
<b>Total :-</b>	<b>68.40</b>

प्रस्तावित activity, site specific नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Justification for locating project on proposed land में दी गई सूचना संतोषजनक नहीं है। Detail note on alternatives examined भी समर्पित नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस

प्रस्ताव में वनभूमि का 17 वर्षों के लिये अपयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र Lease status के बारे में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है।

- 2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित पार्ट- I संलग्न है।
- 3 1 : 50000 स्केल के टोपो शीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
- 4 प्रस्तावित वनभूमि का Cadastral map की छायाप्रति संलग्न है।
- 5 N.P.V. एवं क्षतिपूरक वनरोपण के लागत वहन करने संबंधी वचबद्धता संलग्न है।
- 6 विहित प्रपत्र पार्ट- II में वन प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा संलग्न है।
- 7 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।
- 8 क्षतिपूरक वनरोपण योग्य भूमि संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 9 क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन संलग्न है।
- 10 क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का टोपोशीट नक्शा एवं मौजा नक्शा संलग्न है।
- 11 वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
- 12 जंगल-झाड़ी से संबंधित उपयुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- 13 वन अधिकार अधिनियम से संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न नहीं किया गया। उपयोक्त अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर समर्पित करने हेतु प्रमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया जा रहा है।
- 14 परियोजना से संबंधित लैण्ड शिड्यूल संलग्न है।
- 15 क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का डी0जी0पी0एस0 एवं के0एम0एल0 फाईल (सी0डी0 में)।
- 16 प्रस्तावित परियोजना में C.W.L.W का मंतव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
- 17 विहित प्रपत्र पार्ट- III में वन संरक्षक की अनुशंसा संलग्न है।
- 18 वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से इस परियोजना हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त इसे Online कर Time line संलग्न है।
- 19 अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य पार्ट-IV संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 68.40 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत हाते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 68.40 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-1 की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्तों पर अनुसंशा की जाती है।

अतः मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

**अनु0:-यथोक्त।**

(पाँच प्रतियों में)

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को प्रस्ताव की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को प्रस्ताव की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र के कंडिका 16 पर अपना सुमंतव्य से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय को देने की कृपा की जाय।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1036

दिनांक 18.11.16

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

17-11

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

KONAR WASHERY 68.4 ha.

**17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.**

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

*Recommended for diversion of 68.4 ha. Forest land.*

Date :- 17.11.2016

Place :- Ranchi

Signature



(RAMESH RAMSAI HEMBROM)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

-cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)